न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी धोरीमना

पीठासीन अधिकारी :— श्री धीरेन्द्र सिंह आर० ए० एस०

राजस्व वाद पत्र संख्या 83/2023

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जगदीश पुत्र जुंजाराम जाति भील निवासी कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना		1. मोहन पुत्र जुंजाराम 2. शंकर पुत्र जुंजाराम 3. गेनाराम पुत्र केवलाराम 4. प्रकाश पुत्र केवलाराम 5. पदमाराम पुत्र केवलाराम 6. सुआ देवी पत्नी केवलाराम 7. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा धोरीमन्ना 8. शाखा प्रबन्धक, सैन्ट्रल कॉ—ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा धोरीमन्ना 9. तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

तारीख रजू :— 11.08.2023

अधिवक्ता :—

01. श्री रामनिवास विश्नोई अधिवक्ता वादी
02. श्री देवाराम चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 06

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

— : : निर्णय : : —

दिनांक 28.02.2024

वाद का संक्षेप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद **अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा** पेश कर निवेदन हैं कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 06 तक की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम कातरला खेत खसरा नम्बर 75/3 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, व मौजा आदर्श कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा नम्बर 289, 336 क्षेत्रफल 1.0441, 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम, कुल क्षैत्रफल 5.2690 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसकी उक्त खसरों में शामिल आराजी से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

सम्बोधित किया जावेगा।वादी ग्राम कातरला पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर के मूल निवासी है कृषि भूमि ग्राम कातरला व आदर्श कातरला में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण की पैतृक व पुरतैनी सम्पति है वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 से 05 के दादा स्व. **''जुंजा पुत्र भुता''** के नाम थी जुंजा पुत्र भुता फौत होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02तथा प्रतिवादी संख्या 03 से 04 के पिता/पति के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ था। वक्त दर्ज में **''जगदीश पुत्र जुंजाराम के स्थान पर वादी का नाम नेना वल्द जुंजा''** दर्ज कर दिया गया था। वक्त फौतेदगी नामान्तकरण के समय वादी नाबालिंग था वादी की माता व अन्य सह खातेदार देखरेख करते थे वादी नाबालिंग होने के कारण वादी को दो नामों से जानते थे जुंजा वल्द भुता फौतेदगी नामान्तकरण करते समय राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों के कार्य अधिकता, मानवीय भूल, आनन–फानन, से राजस्व रिकॉर्ड वादग्रस्त आराजी में **''जगदीश पुत्र जुंजाराम के स्थान पर नेना पुत्र जुंजा''** लिखा दिया जो गलत व माननीय भूल के कारण नामान्तकरण व जमाबन्दी में लिखा गया था। वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम कारतलाकातरला खेत खसरा नम्बर 75/3 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, व मौजा आदर्श कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा नम्बर 289, 336 क्षेत्रफल 1.0441, 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम, कुल क्षैत्रफल 5.2690 हैक्टेयरमें वादीगण वादग्रस्त आराजी में वक्त नामान्तकरण से आज दिन तक काबिज काश्त हैं एवम् अलग–अलग ढाणियां, टांके, चारबाड़े,पशुबाड़ा आदि बने हुए है। खातेदारी भूमि में अपने– अपने हिस्से में प्राकृतिक पैदावार लेता आ रहा है, इसलिए **वादग्रस्त आराजी में वादी का नाम ''नेना वल्द जुंजा के स्थान पर जगदीश पुत्र जुंजाराम''** घोषित करवाने का अधिकारी हैं इस हेतु घोषणा का वाद श्रीमान् के समक्ष पेश है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तहसील धोरीमना पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम कातरला कातरलाके खेत खसरा नम्बर 75/3 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, व मौजा आदर्श कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा नम्बर 289, 336 क्षेत्रफल 1.0441, 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम, कुल क्षैत्रफल 5.2690 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड / जमाबन्दी खाते में नाम '' **नेना वल्द जुंजा के स्थान पर जगदीश पुत्र जुंजाराम''** खातेदारी में घोषित करवाने का अधिकारी हैं इसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का वादी [illegible] दावा बमुकाम ग्राम कातरला व आदर्श कातरला पटवार क्षेत्र सुदाबेरी तहसील धोरीमना में जब फौतेदगी नामान्तकरण में दर्ज किया तब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत [illegible] 136 रा0भू–राजस्व अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) जिला-बाड़मेर सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Scanned with OKEN Scanner

का पेश किया तब, श्रीमान्जी द्वारा मौखिक रूप से वाद पेश करने को कहा तब तब उपर वर्णित तथ्यों के आधार पर वाद कारण पैदा हुआ हैं वाद अन्दर म्याद पेश है। भूमिपति राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार धोरीमना को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी संख्या 01 से 40 तक सह खातेदार होने से पक्षकार बनाया है जिनके खिलाफ कोई इस्तदुआ नहीं चाही गई है। यह राजस्व वाद धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 के तहत होने से निश्चित कोर्ट फीस रूपये 5/– के स्टाम्प पेश है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा तहसील धोरीमना में स्थित होने से एवं वादकारण ग्राम लोहारवा पटवार क्षैत्र लोहारवा में उत्पन्न होने से यह वाद माननीय न्यायालय के आर्थिक व स्थानीय क्षेत्राधिकार का है और अन्दर म्याद पेश है। वादीगण की इस्तदुआ निम्नांकित हैं जो वादीगण के पक्ष में सादिर फरमाई जावें i. वादग्रस्त आराजी तहसील धोरीमना पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम कातरलाकातरला खेत खसरा नम्बर 75/3 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, व मौजा आदर्श कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा नम्बर 289, 336 क्षेत्रफल 1.0441, 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम, कुल क्षैत्रफल 5.2690 हैक्टेयरमें वादीगण का नाम **"नेना वल्द जुंजा के स्थान पर जगदीश वल्द जुंजा"** राजस्व रिकार्ड मे खातेदार व काश्तकार घोषित किया जावें। ii. आधार कार्ड, परिचय पत्र, राशन कार्ड, बैक डायरी, जन आधार कार्ड आदि के अनुसार वादग्रस्त आराजी में **"नेना वल्द जुंजा के स्थान पर जगदीश वल्द जुंजाराम"** नाम दुरूस्त किया जाएं। iii. वादपत्र में वर्णित पैरा संख्या 06 अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा घोषित की जाए। iv- अन्य सहायता जो वाद की जांच से वादीगण के पक्ष में प्रमाणित हो वो वादी को दिलवाई जावे और धारा 209 रा0का0 अधि0, सपठित आदेश 7 नियम 7 व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत वादी इस्तदुआ प्राप्त करने का हकदार बनता हो वो दिलवाई जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये रजि0 नोटिस से तलब किया गया।

प्रतिवादी संख्या 11.10.2023 ने अपना ईकबालिया जबाब प्रस्तुत किया, ईकबाली जबाब में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी का पेश किया जो शामिल मिसल किया गया हैं तथा पत्रावली को साक्ष्य वादी में नियत किया। साक्ष्य वादी के दौरान ... प्रकरण संख्या 96 प्रदर्श 1 है, वर्तमान जमाबंदी व नक्शा खेत खसरा नम्बर 75/3 कातरला की प्रदर्श 2 है,

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना, जिला-बाड़मेर, सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वर्तमान जमाबंदी व नक्शा खेत खसरा नम्बर 289, 336 जो प्रदर्श 3 है, वादी का मूल राशन कार्ड जो प्रदर्श 4 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 4A है, वादी का मूल जन आधार कार्ड जो प्रदर्श 5 है किफोटो कॉपी जो प्रदर्श 5A है, वादी का मूल पहचान पत्र जो प्रदर्श 6 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 6A है, वादी का मूल आधार कार्ड जो प्रदर्श 7 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 7A है, वादी का मूल बैंक डायरी जो प्रदर्श 8 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 8A है।साक्ष्य वादी के दौरान वादी जगदीश का शपथ पत्र को प्रदर्श पी डब्ल्यू 01 अंकित किया गया। पत्रावली पर वादी अधिवक्ता द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का कथन करने पर पत्रावली पर साक्ष्य वादी बंदी किया जाकर प्रकरण को सीधे बहस में नियत किया गया।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस को विस्तारपूर्वक सुना एवम् पत्रावली, वादपत्र, प्रदर्शित दस्तावेजों इत्यादि का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। हमने प्रदर्श राजस्व रेकर्ड नामान्तरणकरण संख्या 96 प्रदर्श 1 है, वर्तमान जमाबंदी व नक्शा खेत खसरा नम्बर 75/3 ग्राम कातरला जो प्रदर्श 2 है, वर्तमान जमाबंदी व नक्शा खेत खसरा नम्बर 289, 336 जो प्रदर्श 3 है, वादी का मूल राशन कार्ड जो प्रदर्श 4 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 4Aहै, वादी का मूल जन आधार कार्ड जो प्रदर्श 5 है किफोटो कॉपी जो प्रदर्श 5Aहै, वादी का मूल पहचान पत्र जो प्रदर्श 6 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 6Aहै, वादी का मूल आधार कार्ड जो प्रदर्श 7 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 7Aहै, वादी का मूल बैंक डायरी जो प्रदर्श 8 है कि फोटो कॉपी जो प्रदर्श 8Aहै एवम् शपथ पत्र प्रदर्श पी–डब्ल्यू 01, का अध्ययन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त आराजी में **नेना वल्द जुंजा के स्थान पर जगदीश वल्द जुंजाराम" किया जाना हम उचित एवं विधि संगत समझते है।**

–: : <u>आदेश</u> : :–

अतः वादी की इस्तदुआ स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती है कि वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम कातरला कातरलाके खेत खसरा नम्बर 75/3 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, व मौजा आदर्श कातरला पटवार मण्डल सुदा[illegible] नम्बर 289, 336 क्षेत्रफल 1.0441, 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी [illegible], कुल क्षेत्रफल 5.2690 हैक्टेयरमें "नेना वल्द जुंजा [illegible] जुंजाराम" राजस्व अभिलेख में

सहायक कलक्टर सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर (SDO) धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण करने आदेश दिया जाता है। डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना करें। पत्रावली संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक: 28.02.2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना

सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमना

बइजलास :– श्री धीरेन्द्र सिंह आर0 ए0 एस0

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. जगदीश पुत्र जुंजाराम जाति भील निवासी कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी तहसील धोरीमन्ना		1. मोहन पुत्र जुंजाराम 2. शंकर पुत्र जुंजाराम 3. गेनाराम पुत्र केवलाराम 4. प्रकाश पुत्र केवलाराम 5. पदमाराम पुत्र केवलाराम 6. सुआ देवी पत्नी केवलाराम 7. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे वर्तमान एसबीआई शाखा धोरीमन्ना 8. शाखा प्रबन्धक, सैन्ट्रल कॉ–ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा धोरीमन्ना 9. तहसीलदार धोरीमन्ना

वाद संख्या 83/2023

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 (छ), 40, 188 व 209 रा0का0 अधि0 वास्ते नाम दुरूस्त की घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री रामनिवास विश्नोई वादी
2. देवाराम चौधरी प्रतिवादी संख्या 01 से 06

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू. पक्षकारान् व हाजरी मिनजानिब मुदई वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि तहसील धोरीमना पटवार मण्डल सुदाबेरी के ग्राम कातरला कातरलाके खेत खसरा नम्बर 75/3 क्षेत्रफल 2.4767 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, व मौजा आदर्श कातरला पटवार मण्डल सुदाबेरी के खसरा नम्बर 289, 336 क्षेत्रफल 1.0441, 1.7482 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम, बारानी सोयम, कुल क्षैत्रफल 5.2690 हैक्टेयरमें **"नेना वल्द जुंजा के स्थान पर जगदीश वल्द जुंजाराम" राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। उसी अनुसार तहसीलदार धोरीमना को राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण करने आदेश दिया जाता है। तहसीलदार धोरीमना निर्णय व डिकरी की पालना करें।**

नीज .... मबलिग .... बाबत .... खर्चा। इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीस सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूल याबी तक .... को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 28.02.2024 को सरे ईजलास जारी किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:39:55 IST
Reason: SelfAttested

(धीरेन्द्रसिंह RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner